



बिहार सरकार
पर्यटन निदेशालय

एक्सटेंशन भवन, बी. ब्लॉक, प्रथम तल, मुख्य सचिवालय, पटना-800015
फोन:-0612-2217045, Email-dir-tourism-bih@nic.in



आवंटन

पत्रांक :- TDRT/50030/01-2018(खंड क)..... दिनांक

प्रेषक,

उदयन मिश्रा,भा.प्र.से.
निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय :-

श्रावणी मेला, 2024 के आयोजन अवसर पर कांवरियों/श्रद्धालुओं के विश्राम हेतु मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत रामदयालु सिंह कॉलेज में टेंट सिटी के निर्माण एवं अन्य विविध कार्यों पर हुये व्यय की राशि 27,24,186/- (सताईस लाख चौबीस हजार एक सौ छियासी रुपये) मात्र का उप आवंटन की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

1. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक द्वारा प्राप्त राज्य योजना बजट उपबंध मुख्य शीर्ष-3452 पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-104-संवर्धन तथा प्रचार, उप शीर्ष-0103-पर्यटकीय विकास, 26.01-विज्ञापन एवं प्रकाशन, विपत्र कोड संख्या-46-3452801040103 में उपबंधित आवंटित राशि से की जाएगी।
2. किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
3. उक्त कार्यों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटन आदेश संख्या-47, दिनांक-23.03.2025 के द्वारा रुपये 27,24,186/- (सताईस लाख चौबीस हजार एक सौ छियासी रुपये) का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। समाहर्ता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-6719, दिनांक-29.11.2025 के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 25.03.2025 के उपरांत कोषागार द्वारा विपत्रों को लेने से मना किये जाने के फलस्वरूप उक्त आवंटित राशि की निकासी नहीं की जा सकी थी। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-6719, दिनांक-29.11.2025 के माँग के आलोक में पुनः रू0 27,24,186/- (सताईस लाख चौबीस हजार एक सौ छियासी रुपये) का आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर ली जाय।
4. आयोजन से संबंधित हार्ड रिज्योलूशन फोटोग्राफ, कार्यक्रम की वीडियोग्राफी हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी में अविलंब उपलब्ध कराया जाय, ताकि विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जा सके।

ह०/-

निदेशक, पर्यटन

ज्ञापांक :-

TDRT/50030/01-2018(खंड क).....65..... दिनांक 09/01/2026

प्रतिलिपि :-

1. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा-शाखा, पर्यटन निदेशालय, निदेश दिया जाता है कि CFMS प्रणाली के माध्यम से आवंटन उपलब्ध कराया जाय/आई.टी.मैनेजर, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, पर्यटन